

International Food Security Treaty Principles

The International Food Security Treaty seeks to promote food security by means of a universal treaty based upon four essential principles. In keeping with obligations inherent in the International Bill of Rights, each nation signatory to the IFST commits itself to:

- 1) **PROVIDE ACCESS TO A MINIMUM STANDARD OF NUTRITION** recognized by the United Nations to all people within its borders unable to gain such access on their own;
- 2) **CONTRIBUTE TO A WORLD FOOD RESERVE AND RESOURCE CENTER** as it is able, to assist any nation needing emergency help to provide such access;
- 3) **ESTABLISH AND ENFORCE LAW** prohibiting activities denying or intending to deny the minimum standard of nutrition to any person within its borders; and
- 4) **SUPPORT UNITED NATIONS FOOD SECURITY ENFORCEMENT** actions in nations whose governments are unable to enforce such law on their own, or who are found unwilling to do so through formal United Nations investigations.

HINDI TRANSLATION

अन्तराष्ट्रीय आहार सुरक्षा संधिपत्र नियम (सिद्धांत)

अन्तराष्ट्रीय आहार सुरक्षा संधिपत्र, सार्वभौमिक संधिपत्र के द्वारा, जो चार अनिर्वाय (मूल) सिद्धांतों पर आधारित है, आहार सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अन्तराष्ट्रीय न्यायोचित विधेयक के स्वाभाविक कर्तव्यबोध के अन्तर्गत, प्रत्येक देश जो अन्तराष्ट्रीय आहार सुरक्षा संधिपत्र में हस्ताक्षरित है, निम्नलिखित चार नियमों (सिद्धांतों) के प्रति वचनबद्ध है।

- 1 अपने देश की सीमाओं के अन्दर सभी व्यक्तियों को, जो स्वयं उसे उपलब्ध करने में सक्षम न हों, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीकृत (मान्य) आहार पोषण के न्यूनतम परिमाण (मानक) को उपलब्ध करवाना।

- 2 किसी देश में आपातकालीन सहायता की आवश्यकता पड़ने पर, उसे सहायता का अवसर प्रदान करके सहयोग देने के लिए, यथाशक्ति, विश्व आहार निधि तथा संसाधन (संपदा) केन्द्र को अंशदान (चंदा) देना।
- 3 अपने देश की सीमाओं के अन्दर ऐसे कानून को स्थापित करना तथा उसे प्रभावी बनाना जो ऐसी गतिविधियों को रोके जो किसी भी व्यक्ति को आहार पोषण के न्यूनतम मानक को उपलब्ध कराना अस्वीकार करे अथवा अस्वीकृति का अभिप्राय रखे।
- 4 संयुक्त राष्ट्र संघ आहार सुरक्षा प्रभावी गतिविधियों का समर्थन उन देशों में करना जिनकी सरकारें ऐसे कानून को स्वयं प्रभावी बनाने में असमर्थ हों अथवा जो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक जांच पड़ताल के द्वारा प्रभावी बनाने के अनिच्छुक हों।

(

) ,